



CHECKED BY ME

ANIL R.
Under Secretary
Charitable Development



PREPARED BY MR

पंजा लिंग रघुनाल पाठ्ना

26/09/2023 20:1

क्रम संख्या २१६ तिथि २८.८.०३ अंकुर ५.८०८/- संलग्न विषय प्राप्ति ८१ - ७१ लाइन विषय प्राप्ति ८१
सम्पादित किया..... लाइन नं २४२

गीता रानी गोयल रटाम्प विक्रेता
जी० डी० ए० परिचार, गोडियावाद

(विक्री कर्ता का नाम) ८१/५६९

दारक ५८०

२५


१८७०

गांग गढ़ १६००

क्रम संख्या ८१/५६९
तिथि २८.८.०३ अंकुर ५.८०८/-
विषय प्राप्ति ८१/५६९
विषय विवरण
प्राप्ति ८१/५६९

Signature

८१/५६९



८१/५६९

८१/५६९

८१/५६९

८१/५६९

८१/५६९

क्रम संख्या ८१/५६९

4

3



Anil Rana -

120520
220920

Anil Rana



ANIL RANA
Under Secretary
Chardikar Development Authority

PREPARED BY ME



Interior

22692
22.921


— (Signed)

PREPARED BY MW



ANIL RANA
Under Secretary
Gharibbad Development Authority

5



20 MAR 2003
राज्य कौशल विकास बंगला

Pd 055

— Waliur

✓
PREPARED BY NM



D
ANIL RANA
Under Secretary
Ghaziabad Development Authority



Anil Rana


W. M. Rana

PREPARED BY MA



ANIL RANA
Under Secretary
Chamba Development Committee

7



22 -

— *M. A. M.* —


PREPARED BY MR



ANIL RANA
Under Secretary
Charitable Development Authority

26/09/2023 20:4

8



F. M. Rana -

M. Rana

✓
ANIL RANA
Under Secretary
Central Development Authority

PREPARED BY MR.

26/09/2023 20:40



ANIL RANA
Under Secretary
Ghaziabad Development Authority

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विक्रम विलेख

साहब विलेख गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास मार्ग हापुड़ रोड, गाजियाबाद, जो कि राष्ट्रपति अधिनियम संख्या - 11 सन् 1973 पुर्वविधायन, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या - 30 सन् 1974 की धारा - 4 के आधीन गठित एक निकाय है, के प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से (जिसे इस विलेख में आगे विक्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है) जिसका अर्थ अब तक उसके विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया हो विक्रेता उसके प्रशासकों/अधिशासकों विधिक प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितों से लिया जायेगा।

प्रथम पक्ष

एवं

श्री/श्रीमती/क्रहु..... रत्नलाल पाटेजा

उमेर लगभग ५८ वर्ष पुरुष/पूर्णी/पूर्णी श्री लाल चंद्र
निवासी 63 सीलानी लालू

पा. १० नं. १८/१६ रोडवी लालू-८५

(जिसे कि इस विलेख में क्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है जिसका अर्थ जब तक है कि उसके विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया हो क्रेता रख्यं उसके वारिसों उत्तराधिकारियों विधिक प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितों से लिया जायेगा) द्वितीय पक्ष के हित में निष्पादित किया गया।

ANIL RANA
Under Secretary
Ghaziabad Development Authority

चूंकि जनहित में भूमि आव्याप्ति करके उसे विक्रेता द्वारा विकसित किया गया है तथा क्रेता के आवेदन पत्र दिनांक 31/10/88 के फलस्वरूप नकद/स्वावित पोषित/किराया क्रय-पद्धति के अन्तर्गत दिनांक 10/2/89 को रूपया 69168/- प्रीमियम मूल्य के प्रति फलस्वरूप तथा रूपया 6917/-

..... सरमपूर्ण पट्टा
अवधि का लीज विकाये पर योजना में भूखण्ड संख्या C-68
..... क्षेत्रफल 111.56 वर्गमीटर संलग्न लीज प्लान के अनुसार 90 वर्ष की अवधि के लिये क्रेता के पक्ष में अनुशासन आवंटित किया गया था।

चूंकि शासनादेश संख्या 1639/9 आ-1-95-80 मिस/86 आवास अनुभाग -1 दिनांक 10-05-95 द्वारा भूमि के मूल्य की 2 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि फ्री होल्ड के रूप में लेकर उसे फ्री होल्ड भूमि के रूप में हस्तान्तरित करने हेतु प्राविधान किया गया है, तबनुसार क्रेता के द्वारा उक्त धनराशि रूपया 1304/- (शब्दों में रूपया) १३०४/-, तथा प्रीमियम की धनराशि रूपया 69168/- (शब्दों में रूपया) ६९१६८/-, इस विलेख के माध्यम से रचीकार करता है। अतः यह विलेख निम्न प्रकार से सन्दर्भित करता है।

1. यह कि क्रेता से उपरोक्तानुसार समरत मूल्य प्राप्त करने के पश्चात विक्रेता द्वारा भूखण्ड संख्या C-68 क्षेत्रफल 111.56 वर्गमीटर रिथत जो विनाशक

योजना।

जिसका विरत्त विवरण अन्त में दिया गया है को फ्री होल्ड भूमि के रूप में क्रेता के पक्ष में विक्रय करते हुए सदैव के लिये हस्तान्तरित कर दिया गया है एवं पूर्ण स्वामित्वाधिकार इस विलेख के माध्यम से क्रेता में सन्जहित कर दिये गये है कि वह नियमानुसार भूमि का उपयोग एवं उपभोग करें।

2. यह कि विक्रीत/भूखण्ड का कब्जा इस विलेख के माध्यम से क्रेता तो सौंप दिया गया है।

3. यह कि भूमि सम्बन्धी अधिकार भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त किये जाते हैं एवं भूखण्ड आवंटित करने के समय चूंकि विक्रेता विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी के द्वारा दिये गये अभिनिर्माण (एवार्ड) के आधार पर ही प्रश्नगत भूखण्ड का प्रीमियम मूल्य एवं तदनुसार फ्री होल्ड शुल्क निर्धारित किया गया है। परन्तु यदि भविष्य में न्यायालय द्वारा किसान को देय प्रतिकर तोषण (सोलेशियम) एवं इस मद में ब्याज की वृद्धि के आदेश किये जाये तो क्रेता इस हेतु सहमत होता है एवं प्रसंविदा करता है कि उपरोक्त प्रकार के किसी आकरिमक कारण से हुई वृद्धि की जिम्मेदारी क्रेता द्वारा धारित भूखण्ड क्षेत्रफल भविन्यास योजना के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के अनुपात में क्रेता पर रक्तः स्थानान्तरित हो जोयेगी एवं क्रेता तदनुसार हुई वृद्धि पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार दिये गये मांगपत्र की सूचना प्राप्ति के तीन महीने के अन्दर क्रेता द्वारा अदायगी कर दी जायेगी इसमें असफल रहने पर यह राशि भूराजरब के बकाये के रूप में वसूल की जायेगी।
4. यह कि क्रेता उक्त परिसर अथवा निर्मित स्थल के पूर्ण या किसी भू-भाग या हेस्से को व्यक्तिगत निवास गृह के अतिरिक्त सार्वजनिक रूप से धार्मिक स्थल एवं किसी ऐसे उपयोग में नहींलायेगा जिससे किसी प्रकार की कोई अशान्ति उत्पन्न होती हो अथवा पास पड़ोस में भूखण्ड धारकों को बाधा या क्षति पहुंचती हों। क्रेता गाजियाबाद महायोजना में निर्धारित भू उपयोग से अन्यथा प्रयोग नहीं करेगा और न करने की अनुमति देगा इसका उल्लंघन करने पर विधि अनुसार लगाये गये दण्ड का क्रेता भागी होगा।
5. यह कि क्रेता के द्वारा भूखण्ड अथवा भवन दोनों सम्बन्धित अधिकारों का अन्तरण किये जाने की दशा में इस विलेख में अंकित समरत नियम व उपनियम सदैव प्रथम अन्तरिती द्वितीय अन्तरिती एवं लगातार प्रत्येक अन्तरिती पर यथावत लागू रहेगी तथा क्रेता द्वारा किये गये इस प्रसंविदा को सभी मानने के लिये बाध्य होंगे।

ANIL RANA

6. यह कि किसी समय उक्त भूखण्ड सम्बन्धी किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की सहमति से विवाद हेतु एक मध्यरथ की नियुक्ति की जा सकेगी जो कि विवाद संदर्भित होने के पश्चात दोनों पक्षकारों की सुनवाई करके अपना निर्णय देगा। किसी भी स्थिति में विवाद को स्थानीय क्षेत्राधिकार के लिए गाजियाबाद स्थित न्यायालय को ही प्राप्त होगा।

7. यह कि 1/2 प्रतिशत की होल्ड शुल्क सन्निहित करते हुए भूमि का मूल्यांकन रूपया 77469/- है जिस पर नियमानुसार रेटम् शुल्क की अदायगी क्रेता द्वारा दी गई है।

8. यह कि ब्रेता समय समय पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा जारी किये गये नियमों विनियमों एवं प्राविधानों का पालन करता रहेगा।

प्रमाण में रूप में इस विक्रय विलेख पर विक्रेता के लिये एवं उसकी तरफ से प्राधिकृत अधिकारी, तथा क्रेता ने स्वयं अपने रवरथ चित्त होकर इस विक्रेता विलेख पर अपने हस्ताक्षर तथा विक्रेता की सील भी साक्षियों की उपस्थित में लगायी गयी।

ऊपर संदर्भित विक्रीत भूखण्ड का विवरण

भू-विनायकात् योजना में दी गई भूखण्ड सं० : 60 प्रकार : अवारीय

कुल क्षेत्रफल : 111.58 कम्बल

जिसकी पूर्वी भुजा : 73/ फूट स्थित : गोविन्दपुरम्

पश्चिमी भुजा : 73/ "

उत्तरी भुजा : 102/ "

दक्षिणी भुजा : 102/ "

है प्रश्नगत भूखण्ड की सीमायें निम्न हैं।

पूरब भूखण्ड सं० : 9.0 m. Row.

पश्चिम भूखण्ड सं० : 114.62

उत्तर भूखण्ड सं० : 67

दक्षिण भूखण्ड सं० : 69

पुस्तक दृष्टि Stamp दृष्टि

M. Rana
AMIL RANA

विक्रेता के लिये

13

साक्षीगण :

(1) हस्ताक्षर नाम Stephen Rochosta

उम्र

पिता का नाम Augustine Rochosta

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद

द्वारा

व्यवसाय

निवास

L/24, Sect.23 Sanjay Nagar, ग्राधिकृत अधिकारी
Ghaziabad

(2) हस्ताक्षर नाम

उम्र

पिता का नाम

व्यवसाय

निवास

K. L. Shaw
K. L. Shaw (विक्रेता)
T. K. Negar
T. K. Negar (क्रेता के हस्ताक्षर)

ग्राहक
Stamp no. 5

PREPARED BY MF



गाजियाबाद विकास प्राधिक

GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

Challan Form No.

Receipt Applicant's copy.

19328

योजना का नाम

Name of Scheme Gurihād pāram Plot Scheme

सम्पत्ति श्रेणी

Property Category PLOT - D

योजना कोड

Scheme Code : 539

सम्पत्ति कोड

Property code : 740

कोटा कोड

Quota code 01

भुगतान कोड

Pay plan code : 01

नाम (श्री, सूश्री, सर्वश्री)

(एकल या प्रथम आवेदक)

Name (Mr:Ms:M/s) :

(Sole or first app.)

पिता/पति का नाम

her's/Husband's Name Sh. LAL CHAND

पत्र व्यवहार के लिए पता

Bank of Maharashtra

Address for correspondence : B-29, Con: place, N. Delhi

-11001

जमा की गई धनराशि

Amt. Deposited :

Rs. 7210 00

दिनांक

Date : 31 10 88

Rahul's
आवेदक(कों) के हस्ताक्षर

Signature of Applicant(s)

Received a sum of Rs. 7210 (Rupees Seven thousand

two hundred & Ten Only

on behalf of Vice-Chairman, Ghaziabad Development Authority Ghaziabad

1e DD/PO/CASH NO. 3348 709765

Dated 31.10.88 drawn on Bank of Maharashtra
Con place MD

Date of Receipt

DD MM YY
31 10 88

Seal & Signature of the Bank
G.B./1

18

19

GHAZIABAD

DEVELOPMENT

AUTHORITY

Receipt (Applicant's copy)

Received a sum of Rs 65041.20

Sixty Five thousand forty one Rupees
 Vice-Chairman, Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad
 as per details given below.

Date of payment : 14.6.81

Bank code : 01

Allottee code : 539 740 0149

Name of Scheme:

Haridwar Plots Scheme

Property Category : Plot D

Name (Mr./Ms.) : Rattan Lal Gehji
 (Sole or 1st app.)

Instalment number : First

Due Amount : Rs. 62240.00
 Penal Interest : 2801.20


Total Amount Deposited : 65,041.20

Appl. Form No. :

Rs in words

on behalf of

Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad



Property code: 1591591

Scheme code: 1119943

Bank code: 539

Branch code: 146

Date: 14.6.81

Signature: Rattan Lal Gehji

Due Date : 10.6.81

CASH (YES/NO)

D.D. NO. 1591591, 1119943, 1119940, 286388

DATE 9-6-81

BANK G.D.M. 146

Branch BSNL

Rattan Lal Gehji

BY

गाजियाबाद

विवरण

प्राधिकरण

आवंटन एवं कब्जा पत्र

प्रेषक:-

संयुक्त सचिव,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

सेवामें,

श्रीमती/श्री शत्रुघ्नि लाल पांडुजा ६० अ/ लालचन्द्र
निवासी छोड़ने आए प्रदाता
B-२७ कम्बीर ट्लैस
नई दिल्ली -

पत्रांक: १००

/भूखण्ड अनुभाग/१७

दिनांक: १५-१०-४३

विषय: - गोविन्द पुरग योजना संख्या - ५३९/... आवेदन पत्र
 संख्या - १९३२४ भूखण्ड संख्या - C-६८ के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपको सहर्ष सूचित किया जाता है कि आपको नियमानुसार उवत भूखण्ड आवंटित किया गया है, जो कब्जे हेतु तैयार है। आप निम्नलिखित राशि पत्र की दिनांक से 45 दिन के अन्दर जमा कराकर प्लाट का कब्जा प्राप्त कर लें।

- 1- लीज रेन्ट प्रीमियम का 10%
- 2- वाटर एवं सीधर चार्ज 2500/-

यदि आप द्वारा पूर्व में मांगी गई राशि जमा करा दी गई है तो कब्जे के समय उनकी छाया प्रति प्रार्थना पत्र के साथ नियारित प्रारूप पर पासपोर्ट साइज के तीन फोटो रहित सत्यापित करा कर देना होगा। नियारित राशि के अन्तर्गत कब्जे न लेने पर ₹ ०.५/- प्रति दिन की दर से चौकीदार शुल्क अलग से देय होगा।

संयुक्त सचिव,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।



780V
780W



राष्ट्रिया



174563

CHECKED BY ME

W.B. 12



PREPARED BY MP

पंजाबि० रत्नलाल पाठी

Mr/Ms RATTAN LAL
R L PANCH BANK OF MAHARASHTRA
B-29, CON.PLACE

NEW DELHI 110001

Sub : Regarding Reservation of Plot-D in Govindpura.
Ref : Your application no. 019328

Dear Applicant,

With reference to above cited subject, I have been directed to inform you that a plot has been reserved for you following details :-

1. Allottee code	539 740 0149	Scheme code
2. Scheme name	: Govindpura Plots Scheme	Property cod.
3. Property category	: Plot-D	Pay Plan code:
4. Estimated cost	: Rs. 69,440.00	
5. Registration amount	: Rs. 7,200.00 (Already Paid)	
6. Approximate area of plot	: 112 Sq. M.	
7. Bank name	: VIJAYA BANK, EXTENTION COUNTER, GDA COMPOUND, GHAZIABAD.	Bank code : 01
8. Payment schedule	:	

S.No.	Instalment Description	Due date of payment	Due Amount (in Rs.)
1.	Balance Account	10/03/89	62240.00

You are requested to pay as per details given above failing which action shall be taken as mentioned below.

Grace period of one month shall be given for payment of above amount after the due date.

(a) If the amounts payable to Ghaziabad Development Authority are not paid within the prescribed time limit, interest at the rate of 1% per annum shall be payable alongwith the payable amounts. If the payment is not made within three months after its due date alongwith penal interest, the allotment shall be treated cancelled without notice.

(b) It is expected that you will be given possession of the plot during 1991. You will be separately informed about the date of possession & other formalities which you will have to comply in a time-bound manner otherwise action, as may be prescribed from time to time by the Authority and/or State Government, shall be taken against you.

(c) Rules regarding construction period, non-construction levy etc. as may be prescribed from time to time by the Authority and/or State Govt. shall be binding on you. As per the present Govt. orders, allottees are required to complete construction on the plot within 5 years from the date of registration of the lease deed.

(d) Final cost of the plot shall be determined after taking into account its specific location in terms of park-facing or specific plot.

(e) This reservation is subject to the rules and regulations now in force, prescribed from time to time by the Authority and/or State Government.

The terms and conditions as stipulated in the brochure of above scheme hold good and the allocation is subjected to those conditions. Draw for specific Plot number shall be held separately.

In all future correspondence allottee's code, application number & Pay Plan code should invariably be quoted.

Your sincerely

(Jitendra Singh)
Deputy Secretary
G.D.A.Ghaziabad